- 3. जो संस्थायें उपरोक्त निर्धारित मानक फीस को स्वीकार्य करना चाहती हैं वे समिति की बेवसाइट www.afrcup2018.in पर अपना ऑन लाईन आवेदन/स्वीकृति पत्र निर्धारित प्रारूप पर मानक शुल्क आदेश निर्गत तिथि से विलम्बतम् 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायेगी। प्रत्येक संस्थान को आवेदन द्वारा अपना विकल्प देना वाँछनीय है चाहे वह मानक शुल्क से सहमत हो अथवा नहीं, जिन संस्थान द्वारा मानक शुल्क स्वीकार करते हुए अपनी सहमति उपलब्ध करा दी जाएगी उनके मानक शुल्क आदेश सहमति प्राप्ति के 07 दिन के अन्दर निर्गत कर दिये जाएगे।
- 4. ऐसी संस्थाये जो उक्त निर्धारित मानक शुल्क से भिन्न शुल्क निर्धारित करवाना चाहती है, उन्हें सिमित के समक्ष मानक शुल्क आदेश निर्गत होने के विलम्बतम् 30 दिन के अन्दर आवेदन करना होगा। संस्थाओं द्वारा आवेदन के साथ उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली—2015 के विनियम—4(4) में निर्धारित बिन्दुओं के सापेक्ष व्यय की पुष्टि हेतु वांछित अभिलेख प्रस्तुत करेगी, जिनके अभाव में उस मद के व्यय का संज्ञान नहीं लिया जायेगा। संस्थाओं द्वारा अपना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव/लेखा—विवरण एवं अन्य सुसंगत अभिलेख बेवसाइट www.afrcup2018.in पर प्रस्तुत करते हुए उसकी एक प्रति सिमिति कार्यालय (सचिव, प्रवेश और फीस नियमन सिमिति बासमण्डी चौराहा, चारबाग, लखनऊ) को उपलब्ध कराएंग। उक्त के अतिरिक्त विशेष रूप से संस्था द्वारा शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक स्टाफ को वेतन में दी गयी धनराशि की पुष्टि हेतु निर्गत फार्म—16 एवं टीठडीठएसठ प्रमाण—पत्र आयकर विभाग की अधिकृत वेबसाइट से डाउनलोड कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 5. ऐसे संस्थान जिनके द्वारा न तो मानक शुल्क की सहमित प्रदान की गई है और न ही मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारण हेतु 30 दिन के अन्दर प्रत्यावेदन दिया है, उन संस्थानों के सम्बन्ध में यह मान लिया जायेगा कि उन्हें समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क स्वीकार्य है तथा उन संस्थानों हेतु भी 30 दिन उपरान्त मानक शुल्क के आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे।
- 6. उपरोक्त निर्धारित मानक शुल्क की सूचना सिमित की बेवसाइट www.afrcup2018.in पर जनसाधारण हेतु उपलब्ध है जिसे डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकता है। उक्त निर्धारित शुल्क की सूचना संस्थान अपनी वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करना सुनिश्चित करेगे।

Rhan

किसी भी संस्थान द्वारा समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से भिन्न कोई भी शुल्क छात्रों से नहीं लिया जायेगा। समिति को यदि यह समाधान हो जाता है कि किसी संस्थान द्वारा समिति द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क लिया गया है या अधिनियम-2006, विनियमावली-2015 में दिये गये व्यवस्था या उसके किसी उपबन्ध का अतिक्रमण किया गया है तो सिमिति विनियमावली-2015 के बिन्दु-11 में दी गयी व्यवस्थानुसार संस्था के विरूद्ध शास्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति उपयुक्त सांविधिक निकाय/राज्य सरकार को करेगी।

> (एफ0आर0 खान) सचिव 🖾

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

निदेशक / प्राचार्य, निजी क्षेत्र की (177) डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यवसायिक

कुलसचिव, डा० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ।

उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।

- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० कानपुर। प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग।
- प्रमुख सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग।
- प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग।
- सम्बंधित जनपद के जिलाधिकारी, उ०प्र०।

गार्ड फाइल।

आज्ञा से Chan (एफ0आर0 खान) सचिव 🖘

प्रवेश और फीस नियमन समिति उत्तर प्रदेष प्राविधिक षिक्षा विभाग संख्या— ६५ /प्र0फी0नि0स0/2018 लखनऊ दिनांक / 9 जून, 2018

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली—2015 अधिनियम 2006 की धारा—14 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके अधिसूचना संख्या—4781/सोलह—1—14(34)/2014 दिनांक 22.12.2015 द्वारा निर्गत की गयी है।

2. विनियमावली—2015 में दी गई व्यवस्था के अनुसार प्राविधिक षिक्षा विभाग के अधीन संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री/डिप्लोमा स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु शैक्षिक सत्र 2018—19, 2019—20 एवं 2020—21 के लिए मानक शुल्क निर्धारित किया जाना है। प्रवेश और फीस नियमन समिति द्वारा निम्नवत् मानक शुल्क निर्धारित किया जाता है:—

(क) निजी क्षेत्र की डिग्री स्तरीय अभियन्त्रण एवं व्यावसायिक संस्थाओं हेतु:-

क्रमांक	पाव्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21
01	बीठटेकठ	55000.00
02	बीठफार्माठ	63300.00
03	बी०आर्क	57730.00
04	बी०एफ०ए०	85250.00
05	बी०एफ०ए०डी०	85250.00
06	बी०एच०एम०सी०टी०	70000.00
07	एम0बी0ए0	59700.00
08	एम०सी०ए०	55000.00
09	एम0फार्मा0	
10	एम०आकी०	68750.00
11	एम०टेक०	57500.00
-		57500.00

Soniar 18 manet struit eastern

3/5

(ख) निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में चल रहे पात्यक्रमों का शुल्क-

निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में तीन वर्षीय सभी पाठ्यकम एवं फार्मेसी पाठ्यकम का शुल्क-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्घारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21
01	डिप्लोमा एण्ड इंजीनियरिंग	30150.00
02	डी०फार्मा०	45000.00
03	डी०आर्की० .	30250.00
04	डी०एच०एम०सी०टी०	31300.00

निजी क्षेत्र की डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में दो (डी० फार्मा को छोड़कर) एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21
01	दो एवं एक वर्षीय सभी पाठ्यक्रमों का शुल्क (डीoफार्मा के अतिरिक्त)	₹0 22500.00

> सहायता प्राप्त डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों का शुल्क-

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	, निर्घारित मानक शुल्क (रूपये में) 2018–19, 2019–20 एवं 2020–21
01	समस्त पाठ्यकमों हेत्	₹0 19000.00

- 3. जो संस्थायें उपरोक्त निर्धारित मानक फीस को स्वीकार्य करना चाहती हैं वे समिति की बेवसाइट www.afreup2018-11 पर अपना ऑन लाईन आवेदन/स्वीकृति पत्र निर्धारित प्रारूप पर मानक शुल्क आदेश निर्गत तिथि से विलम्बतम् 30 दिन के अन्दर उपलब्ध करायेगी।
- 4. ऐसी संस्थाये जो उक्त निर्धारित मानक शुल्क से भिन्न शुल्क निर्धारित करवाना चाहती है, वे उत्तर प्रदेश निजी प्राविधिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश का विनियमन और फीस का नियतन) विनियमावली—2015 विनियम—4 में उल्लिखित व्यवस्थानुसार मानक शुल्क आदेश निर्गत तिथि से विलम्बतम् 30 दिन के अन्दर अपना औचित्यपूर्ण प्रस्ताव/लेखा—विवरण एवं

14

अन्य सुसंगत अभिलेखों सिहत बेवसाइट www.afreup2018.in पर प्रस्तुत करते हुए उसकी एक प्रति सिमित कार्यालय (सिचव, प्रवेश और फीस नियमन सिमित बासमण्डी चौराहा, चारबाग, लखनऊ) को उपलब्ध करायें।

5. समस्त डिग्री / डिप्लोमा स्तरीय संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि मानक शुल्क से सहमित अथवा असहमित की रिथित में संस्थानों को अपना विकल्प आवेदन के माध्यम से देना अनिवार्य होगा, चाहे वे मानक शुल्क से सहमत हो अथवा नहीं। जिन संस्थाओं द्वारा मानक शुल्क स्वीकार करते हुए अपने सहमित उपलब्ध करा दी जायेगी, उनके मानक शुल्क आदेश सहमित प्राप्ति के 03 दिन के अन्दर निर्गत कर दिये जायेंगे तथा ऐसे संस्थान जो न तो मानक शुल्क की सहमित प्रदान की है और न ही मानक शुल्क से इतर शुल्क निर्धारण हेतु 30 दिन के अन्दर प्रत्यावेदन दिया है, उन संस्थानों के सम्बन्ध में यह मान लिया जायेगा कि उन्हें समिति द्वारा निर्धारित मानक शुल्क स्वीकार्य है तथा उन संस्थानों हेतु भी 30 दिन उपरान्त मानक शुल्क के आदेश निर्गत कर दिये जायेंगे।

एफ0आर0 खान सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेषक / प्राचार्य, उ०प्र० में संचालित निजी क्षेत्र की डिग्री एवं डिप्लोमा स्तरीय समस्त अभियन्त्रण एवं व्यवसायिक संस्थान।
- (2) कुलसचिव, डा० ए०पी०जे० अब्दुल कमाल प्राविधिक, विश्वविद्यालय उ०प्र० लखनऊ।
- (3) उपसचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुमाग-1, उ०प्र० शासन।
- (4) प्रमुख सचिव, सचिव, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग विभाग एवं अल्प संख्यक विभाग।
- (5) समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
- (6) गार्ड फाइल।

आज्ञा से भिक्का (एफ०आर० खान) सचिव